न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी— हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
22/2021	14/09/2021	30/1/26

विष्णु बाई पुत्री कस्तूरचंद पत्नी महेन्द्र आयु 35 वर्ष जाति कीर नि० नीमोदा हाल निवासी नीमोदा तह0 पीपल्दा जि0 कोटा राज0

प्रार्थीया

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जि0 कोटा राज0

अप्रार्थी

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः— श्री रमेश बैरवा एड0।

प्रार्थना पत्रअन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की पैत्रिक कृषि आराजी भूमि मुतालिक जमाबंदी वाके ग्राम खेड़ली महाराजा पटवार हल्का दौलतपुरा भू.अभि.नि.क्षे. विनायका तह० पीपल्दा जि० कोटा राज. की खाता संख्या नया 32 पुराना 35 में ख.नं. 215 की रकबा 0.28 है0, 48 की 0.03 है0 कुल किता 2 की कुल रकबा 0.31 है0 भूमि स्थित है जिसके राजस्व रिकार्ड से प्रार्थीया का नाम बिशनीबाई पुत्री कस्तूरचन्द जाति कीर नि0 खेड़ली महाराजा तह0 पीपल्दा जि0 कोटा राज0, हिस्सा 1/30 दर्ज रिकॉर्ड चला अ रहा है। प्रार्थीया का वास्तविक नाम विष्णुबाई पुत्री कस्तूरचंद पत्नी महेन्द्र जाति कीर नि0 खेड़ली महाराजा हाल मुकाम नीमोदा तह0 पीपल्दा जि0 कोटा राज0 के स्थान पर गलत नाम बिशनीबाई पुत्री कस्तूरचंद राजस्व रिकॉर्ड दर्ज चला आ रहा है. जब कि प्रार्थीया को बचपन से ही विष्णुबाई के नाम से ही जाना जाता है प्रार्थीया के पास राजस्थ रिकॉर्ड के अलावा समस्त रिकॉर्ड राशन कार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड पहचान पत्र, बैंक रिकॉर्ड व अन्य रिकॉर्ड में भी बिष्णु बाई दर्ज चला आ रहा है, प्रार्थीया के पिता की मृत्यु के बाद जरिये फोती नामान्तरण/इंतकाल में हल्का पटवारी द्वारा सहवन से सामान्य प्रचलन के नाम बिशनीबाई को ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया जिससे प्रार्थीया को राजस्व संबंधित समस्त कार्यो में काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है, जिससे दुरुस्त करवाने का प्रार्थीया अधिकारी है। प्राथीया द्वारा अप्रार्थी राज0 सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार पीपल्दा जि0 कोटा को प्रार्थना पत्र के माध्यम से कई मर्तबा उक्त नाम ऋुटि को दुरस्त करने का अनुरोध किया गयो लेकिन अप्रार्थीया द्वारा स्पष्ट मना कर दिये जाने पर प्रार्थीया को मजबूरन न्यायालय की शरण में आकर प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ा, अप्रार्थी को राजस्व भूमि लैण्ड होल्डर होने से फोरमल पक्षकार बनाया गया है, इनसे कोई अनुतोश नही चाहा गया है। पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं ग्राम पंचायत के सरपंच की तस्दीक तहरीर प्रार्थना पत्र के समर्थन में संलग्न है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीया के गलत नाम बिशनीबाई पुत्री कस्तुरचंद के स्थान पर विष्णुबाई पुत्री कस्तूरचंद दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री रमेश बैरवा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अलवोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। जवाब सरकार के अनुसार वाद में वर्णित भूमि, खसरा न.

48 रकबा 0.03है0 ,ख0न0 215 रकबा 0.28 कुल किता 2 कुल रकबा 0.31 है0 वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी खाता संख्या 160 में ''नवनेरा परियोजना (जल–संसाधन खंड प्रथम कोच) के नाम दर्ज है। उपरोक्त वादी उक्त भूमि में खातेदार नहीं हैं। इसलिए उक्त वाद निरस्त योग्य है।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तथा जवाव सरकार के मुताबिक ख0नं0 48 रकबा 0.03है0, ख0नं0 215 रकबा 0.28है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.31है0 कृषि आराजी में प्रार्थी खातेदार नहीं है। अतः उक्त आराजी में प्रार्थी का कोई अधिकार नहीं होने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा